**प्रेस नोट**

**दिनांक 25.09.2025**

# 07 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के थाना सुमेरपुर, राठ, मझगवां, चिकासी, जलालपुर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित /जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

**जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-**

1. रवीन्द्र कुमार भारतवंशी पुत्र स्व0 रामप्रकाश निवासी वार्ड नं0 16 नई बस्ती कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 23.09.2025 से 06 माह।
2. मनीष राजपूत पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम लींगा थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.09.2025 से 06 माह।
3. हिमांशू गुप्ता पुत्र शिवशंकर गुप्ता निवासी मु0 फरसौलियाना बड़ा मन्दिर के पास कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.09.2025 से 06 माह।
4. मुमताज पुत्र रहीम बक्श निवासी ग्राम कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.09.2025 से 06 माह।
5. सर्वेश पुत्र सुभाष राजपूत निवासी ग्राम गिरवर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.09.2025 से 06 माह।
6. आशीष  पुत्र स्व0 छत्रपाल लोधी निवासी ग्राम चक अमरपुरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.09.2025 से 06 माह।
7. अपलोश उर्फ अर्पित पुत्र रामकुमार निवासी बरहरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.09.2025 से 06 माह।